क्रम संख्या–16

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 जनवरी, 2010 ई०
पौष 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 27 / XXXVI(3) / 2010 / 49(1) / 2009
देहरादून, 07 जनवरी, 2010

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009' पर दिनांक 7 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 2008 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:–

अध्याय–एक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा, सिवाय धारा 2 के, जो कि सन् 2009 के अप्रैल माह के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी।

अध्याय–दो

धारा 3 की उपधारा (1) का संशोधन

2–उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 2008 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पाँच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 11 की उपधारा (1) का संशोधन

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में शब्द "पाँच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (2) में शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(3) उपधारा (3) में शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द "छः हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

6. (1) मूल अधिनियम की धारा 15 में शब्द "पाँच लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(2) धारा 15 में निम्नवत् परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात :–

"परन्तु यह कि यदि किसी ऐसे सदस्य को एक प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया गया अग्रिम और उस पर देय ब्याज प्रति संदत कर दिया गया हो तो उस सदस्य को दूसरे प्रयोजन के लिए भी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।"

धारा 17 के खण्ड (क) का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (क) में शब्द "छः हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 20 का संशोधन प्रतिस्थापन

8. (1) मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) में शब्द "छः हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(2) मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु जहाँ किसी व्यक्ति ने, उपर्युक्तानुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्य किया हो, वहाँ वह एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक हजार रुपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा, जिसकी न्यूनतम सीमा दस हजार रुपये होगी।"

नई धारा 23–क का अन्तःस्थापन

9–मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात् एक नई धारा 23–क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :–

''23 क (1) यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की मृत्यु हो जाय, तो उसके अश्रित को उसके सदस्यताकाल पर आगणित उसे देय पेंशन मात्र की पचास प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगी।

(2) यदि किसी पूर्व सदस्य की मृत्यु हो जाय तो उसके आश्रित को उसे देय पेंशन मात्र की पचास प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगी।

स्पष्टीकरण

सदस्य तथा पूर्व सदस्य के सम्बन्ध में आश्रित से ऐसे सदस्य के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित, अधिमान क्रम में उसके पति या उसकी पत्नी, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता या माता अभिप्रेत हैं।''

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 7 विधायी/34–2010–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।